न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—114 / 2022 (2022 / 278) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बदानाथ पुत्र नन्दानाथ जोगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारीसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गीतादेवी पत्नि गोवर्धन जोगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसदेवी पत्नि लक्ष्मण जोगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपी पिता सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पारसी पिता सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लादी पुत्री सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकरलाल पुत्री सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भीमानाथ पिता नन्दानाथ योगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मानानाथ पिता नन्दानाथ योगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. पप्पुनाथ पिता लादुनाथ योगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. केशीदेवी पत्नि नन्दानाथ जागी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. राजुलाल नायक — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 45 रकबा 1.40 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 171 में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को [illegible] प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस [illegible] सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात [illegible] आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने [illegible] कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने दिनांक 18.05.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 20.07.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 व 11, 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 10 की अदम तामील प्राप्त होन से प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 45 रकबा 1.40 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 171 में दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—114 / 2022 (2022 / 278) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बदानाथ पुत्र नन्दानाथ जोगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारीसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गीतादेवी पत्नि गोवर्धन जोगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसदेवी पत्नि लक्ष्मण जोगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपी पिता सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पारसी पिता सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लादी पुत्री सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकरलाल पुत्री सुवा रावल (योगी) निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भीमानाथ पिता नन्दानाथ योगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मानानाथ पिता नन्दानाथ योगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. पप्पुनाथ पिता लादुनाथ योगी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. केशीदेवी पत्नि नन्दानाथ जागी निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.09.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 45 रकबा 1.40 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 171 में दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बंधित भू [illegible] निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को [illegible] हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:33 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर [illegible] की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दख[illegible] दिये उसको नजरी नक्क्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)